**28.06.2023** पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी श्री कमरूदीन पुत्र श्री भुरे खॉ जाति मेव उम्र 28 वर्ष निवासी– बेड़ा का बास, पोस्ट–खानपुर, तह.–किशनगढ़ बास, जिला अलवर मैसर्स – कमरूदिन गाड़ी नं. RJ 32 UA 5405, नमुना स्थलः सदरथाना नीमकाथाना जिला सीकर उपस्थित हुये। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 21.03.2022 को समय 02:40 पी.एम. पर नीमकाथाना सीकर, में निरीक्षण के लिए पंहुचे। निरक्षण के दौरान विक्रय किये जा रहे फर्म मैसर्स कमरूदिन गाड़ी नं. RJ 32 UA 5405, नमुना स्थलः सदरथाना नीमकाथाना जिला सीकर, में अप्रार्थी श्री कमरूदीन द्वारा SMP CAKE (EKLAS) जो गाड़ी नं. RJ 32 UA 5405 का विक्रय करता हुआ मिला। अप्रार्थी को अपना परिचय दिया व उसका नाम व पता पूछा जो उन्होनें बताया। विक्रेता श्री कमरूदिन से वर्ष 2022 का खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा गया तो अप्रार्थी ने मौके पर खाद्य लाइसेन्स वर्ष 2022 होना बताया व दिखाया।

निरीक्षण के दौरान मैसर्स– कमरूदिन गाड़ी नं. RJ 32 UA 54050 पर कमरूदीन द्वारा SMP CAKE (EKLAS) का विक्रय के लिए जा रहा था। गाड़ी में उपलब्ध स्टॉक "2.5 किलोग्राम के सीलबन्द डिब्बे SMP CAKE (EKLAS) 9 कार्टन में 200 डिब्बे SMP CAKE (EKLAS)" विक्रय के लिए रख हुये स्टॉक में से वास्ते नमूना जांच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। वास्ते नमूना जांच 2.5 किग्रा SMP CAKE (EKLAS) के सीलबन्द डिब्बे को खोलकर 2 किलोग्राम खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता श्री कमरूदीन को 300 रु नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना **मिथ्याछाप व एक्ट्रानियस मैटा** SMP CAKE (EKLAS) पाया गया।

प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी नम्बर एफ– 2775 खाद्य पदार्थ SMP CAKE (EKLAS) का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण **मिथ्याछाप व एक्ट्रानियस मैटा** SMP CAKE (EKLAS) पाया गया। **मिथ्याछाप व एक्ट्रानियस मैटा** SMP CAKE (EKLAS) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) का उल्लघंन पाया गया। यह कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये।

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 52 व 54 के तहत अप्रार्थी को 50,000 रू के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जूर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 28.06.2023 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:07:39 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर,
नीमकाथाना, सीकर

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)